



दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS  
JOURNALISM OF COURAGE



दैनिक भास्कर



THE HINDU

जनसत्ता

Paity

CURRENT

AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

BY- ABHAY SIR

- ❑ Topic 1 :- जेलों में जाति के अनुसार काम देना अनुच्छेद 15 का उलंघन
- ❑ Topic 2 :- असम के उत्पादों को GI टैग
- ❑ Topic 3:- "एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कम्पैनियन" रिपोर्ट
- ❑ Topic 4 :- पीएम ई-ड्राइव (E-DRIVE) योजना
- ❑ Topic 5 :- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और संविधान की छठी अनुसूची ।

# जेलों में जाति के अनुसार काम देना अनुच्छेद 15 का उलंघन



Supreme Court, while delivering its verdict on a PIL seeking prevention of caste-based discrimination and segregation at prisons, says that manual directly discriminates by assigning cleaning and sweeping tasks to lower caste and assigning cooking to higher caste and it is in... [और अधिक दिखाएं](#)



Source – Dainik Jagran

## चर्चा में क्यों :-

- ❑ पत्रकार सुकन्या शांता ने एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। जिसमें उन्होंने बताया कि जेलों में जाति के आधार पर काम का आवंटन किया जा रहा है तथा जेल मैनुअल के कई प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 23 के विरुद्ध बताया।
- ❑ सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया
- ❑ और साथ ही इसे समाप्त करने का आदेश भी दिया।




- ❑ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जेल नियमावली में बदलाव करें।
- ❑ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जाति के आधार पर जेलों में काम के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह संविधान का उल्लंघन है।
- ❑ सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें जाति-आधारित भेदभाव को रोकने की मांग की गई थी।
- ❑ इसी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि :- जेल में अनुअल निचली जाति को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति को खाना पकाने का काम देकर सीधे भेदभाव करता है।




- ❑ अदालत ने कहा :: यह अनुच्छेद-15 का उल्लंघन है। इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का अनुचित विभाजन होता है। जाति के आधार पर काम के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- ❑ अनुच्छेद-15 (1) "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"
- ❑ यह अनुच्छेद, समानता के अनुच्छेद 14 के सिद्धांत को लागू करता है.



- ❑ अनुच्छेद 15 के तहत, किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य या किसी समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान या नीति तक पहुंचने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.
- ❑ अनुच्छेद 15 के तहत, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, और सार्वजनिक समागम स्थलों का इस्तेमाल करने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता.
- ❑ अनुच्छेद 15 के तहत, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है.
- ❑ अनुच्छेद 15 के तहत, पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाता है.



- अनुच्छेद 15, न्यायिक निर्णयों, सार्वजनिक बहस, और सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण, और कोटा से जुड़े कानूनों में अहम मुद्दा है.
- सर्वोच्च न्यायालय ने अगले तीन महीने में जेल मैनुअल से मॉडल जेल मैनुअल-2016 और मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम-2023 में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए संशोधन करने का आदेश दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आगामी तीन सप्ताह में निर्णय की प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए।





- साथ ही कोर्ट ने कहा कि :• मॉडल जेल मैनुअल 2016 के तहत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और विजिटर्स बोर्ड संयुक्त रूप से जेलों का नियमित निरीक्षण करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाति आधारित भेदभाव खत्म हुआ है या नहीं।



# असम के उत्पादों को GI टैग



अतुल्य भारत की अमूल्य निधि

**Invaluable Treasures of Incredible India**

- ❑ चर्चा में क्यों :- असम के कुल 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है
- ❑ किसने प्रदान किया :- चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने
- ❑ उत्पादों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:-
- ❑ शामिल किए गए उत्पादों में तीन मादक पेय, चार पारंपरिक व्यंजन , एक पारंपरिक शॉल शामिल हैं



- ❑ तीन मादक पेय पारंपरिक रूप से किण्वित चावल पर आधारित हैं।
- ❑ ये - बोडो जौं गिशी, बोडो जौं गोरान और मैबरज जौं बिडवी।
- ❑ चार पारंपरिक व्यंजन भी शामिल हैं:
- ❑ बोडो नेफाम: किण्वित मछली से बना व्यंजन ।
- ❑ बोडो ओंडला: चावल के पाउडर की करी ।



- ❑ **बोडो ग्वखा:** यह बिबिसागु उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है। इसे 'ग्वका ग्वखी' कहा जाता है।
- ❑ **बोडो नारज़ी:** जूट के पत्तों से बना अर्ध-किण्वित खाद्य।
- ❑ **बोडो अरोनाई:** पारंपरिक शॉल या दुपट्टा।



□ **क्या है GI टैग :-** GI टैग किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले किसी विशेष प्रकार के उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान प्रदान किए जाने का चिह्न या साइन है

**साइन या टैग का मतलब :-**

□ उत्पाद किसी क्षेत्र विशेष या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उत्पाद में मौजूद विशेष गुण जिससे इसकी पहचान है वह भी उस भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही हैं।



## GI टैग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:

- ❑ विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) समझौते के तहत 'भी GI tags को शामिल किया गया है।
- ❑ GI के लिए प्रावधान मैड्रिड समझौते और लिस्बन समझौते के तहत भी किए गए हैं।
- ❑ औद्योगिक संपदा के अंतर्गत संरक्षण के लिए "पेरिस कन्वेंशन" के तहत GI को बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया।



## भारत और GI टैग :-

- ❑ GI टैग को भारत में "वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999" के तहत सामिल किया जाता है।
- ❑ किन उत्पादों को दिया जाता है :- प्राकृतिक, कृषिगत या विनिर्मित उत्पादों को।

## पंजीकृत किसके द्वारा :-

- ❑ भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार (Registrar of Geographical Indications: RGI) के कार्यालय द्वारा।



**Geographical  
Indication  
Tag**



□ GI टैग की अवधि:- उत्पाद को 10 वर्ष के लिए

## GI टैग का महत्व:

- कोई अन्य व्यक्ति उस उत्पादन का उस रूप में प्रयोग नहीं कर सकता
- अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध क़ानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
- जिस उत्पाद को यह टैग प्रदान किया जाता है उसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

## Geographical Indication



प्रारूप O-2  
बौद्धिक सम्पत्ति भारत  
FORM O-2  
INTELLECTUAL PROPERTY INDIA

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री  
Geographical Indication Registry

वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999  
Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

भार 16 (2) के अर्धीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा प्रामिक्त उपयोग के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र  
Certificate of Registration of Geographical Indication or of authorised user under section 16(2)

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:  
Geographical Indication No.: 635

CERTIFICATE NO. 388

दिनांक  
Date: 03-12-2018

एतद्विषयक यह है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी सभाकृति इसके साथ अभावद्ध है)

से  
वर्ग में  
संरक्षण के अधीन  
दिनांक

के लिए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण किया गया

It is hereby certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto) has been registered in the name of The Director, Directorate of Agriculture, Kashmir Division, Government of Jammu and Kashmir, La Moul, Srinagar - 190 008, Jammu and Kashmir, India. Facilitated by Shree-Kashmir University of Agriculture Sciences & Technology, Kashmir (SKAUST-K) Shalimar, and Saffron Research Station, Quesu (Pampore), Jammu and Kashmir, India.

30 number no. 635 on of the date 03-12-2018

is of "KASHMIR SAFFRON" Filing in Class - 30 - in respect of -

- ❑ टैग उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी सुद्धता और विशिष्टता को प्रमाणित करता है ।
- ❑ भारत में नोडल मंत्रालय :- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ।
- ❑ विभाग:- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग
- ❑ भारत में कौन प्रदान करता है GI Tag :-
- ❑ साल 1999 में भारत में जीआई टैग के लिए कानून



- ❑ साल 2003 में :- प्रक्रिया शुरू हुई
- ❑ इसी के तहत साल 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान ।
- ❑ भारत में ही टैग :- इंडियन ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है।
- ❑ यह चेन्नई में स्थित स्थित है
- ❑ भारत का पहला GI टैग :-
- ❑ दार्जिलिंग की चाय :- साल 2004 में



# "एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कम्पैनियन" रिपोर्ट



- ❑ कियने जारी की अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने।
- ❑ रिपोर्ट के उद्देश्य :- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की मुख्य गतिविधियों, चुनौतियों तथा प्राथमिकताओं को रेखांकित करना।
- ❑ रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:-



International  
Labour  
Organization

# पीएम ई-ड्राइव (E-DRIVE) योजना

## PM E-DRIVE SCHEME 2024



- ❑ किसने किया योजना का शुभारंभ :- केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने
- ❑ PM E-DRIVE :- 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' ।

**योजना से संबंधित अन्य जानकारी :-**

**योजना के उद्देश्य :-**

- ❑ देश में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना।



- ❑ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग में तेजी लाना।
- ❑ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना को बनाना
- ❑ योजना के प्रमुख घटक:





# केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और संविधान की छठी अनुसूची।



لداخ  
لو قلعو ر ریاست کا درجہ دیا جائے  
LADAKH DEMANDS  
STATEHOOD

LADAKH  
DEMANDS  
STATEHOOD  
SIXTH SCHEDULE

قالی لاس میں کر کے کیا جاتے اور لوگوں میں رزرویشن کے ساتھ ساتھ  
ہیکٹ سروی کیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔

- ❑ चर्चा में क्यों :- हाल ही में सोनम वांगचुक को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया बह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं

## छठी अनुसूची

- ❑ छठी अनुसूची के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 (1) आते हैं
- ❑ छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं



- ❑ छठी अनुसूची में शामिल प्रावधानों को बोर्डोर्लोई समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था।
- ❑ छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं की बह इन चार राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदों (ARCs) को गठित कर सकें।



# THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra



+ SUBSCRIBE

